बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(जमुई)–84 / 2020 5419 **पटना, दिनांक**:– 03/07/2023

आदेश

अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक 278 दिनांक 28.04.2023 द्वारा श्री अरविन्द कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN02567) के विरूद्ध कार्य के प्रति असंवेदनशीलता एवं लापरवाही बरतने के साथ–साथ कार्यो में रूचि नहीं लेने एवं दिए गए निदेश के बावजूद आचरण में अपेक्षित सुधार नहीं होने का आरोप प्रतिवेदित करते हुए चयनमुक्त करने की अनुशंसा की गयी है।

प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निदेशालय के पत्रांक 4334 दिनांक 23.05.2023 द्वारा आरोपित से 03 (तीन) दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। आरोपित द्वारा अपना स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि में समर्पित किया गया है। आरोपित द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उल्लेखित किया गया है कि इनके द्वारा खानापुरी कार्य एवं प्रपत्र– 6 की प्रविष्टि पूर्ण कर लिया गया है। साथ ही स्पष्टीकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

प्राप्त स्पष्टीकरण का इनपर लगाए गए आरोप के आलोक में समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इनके द्वारा अपना कार्य पूर्ण करने में कितना समय लिया गया है यह अंकित नहीं किया गया है। निदेशालय स्तर पर संधारित एम0आई0एस0 सॉफ्टवेयर से प्राप्त विवरणी के अनुसार इन्हें आवंटित राजस्व ग्राम में कुल खेसरों की संख्या 476 है। खानापुरी प्रारंभ करने की तिथि 12.03.2022 है एवं समाप्त करने की तिथि 07.12.2022 है। इस प्रकार खानापुरी कार्य में इनके द्वारा 270 दिनों का समय लगाया गया है। साथ ही इनके द्वारा लगभग दो माह में प्रपत्र–06 में डाटा इंट्री का कार्य पूर्ण किया गया है। आरोपित द्वारा अपने स्पष्टीकरण में लगाए गए आरोप के विरूद्ध कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो उनपर लगाए गए आरोप को खंडित करता हो।

विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत सर्वे के विभिन्न अवयव / प्रक्रम हेतु समय सीमा निर्धारित है, जिससे सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मी अवगत हैं। कार्य शिथिलता बरतने से निर्धारित लक्ष्य कुप्रभावित होगा। अतः इस परिपेक्ष्य में आरोपित को संविदा में बनाए रखने से इनके इस कृत्य का प्रभाव अन्य संविदा कर्मियों पर पड़ सकता है, इसके दृष्टिगत इनका संविदा नियोजन समाप्त किया जाना उचित होगा।

अतः **"बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली 8(4)"** के आलोक में श्री अरविन्द कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN02567) का संविदा नियोजन समाप्त किया जाता है।

Sd/- 6/7/23
(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(जमुई)–84 / 2020 5419 **पटना, दिनांक** :– 03/07/2023

प्रतिलिपि :– श्री अरविन्द कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN02567), बंदोबस्त कार्यालय, जमुई को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(जमुई)–84/2020 5419 **पटना, दिनांक** :– 03/07/2023

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(जमुई)–84/2020 5419 **पटना, दिनांक** :– 03/07/2023

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरीता कुमारी, प्रोग्रामर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं इसकी स्कैन कॉपी R2R अन्तर्गत संधारित श्री कुमार की निजी संचिका में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक 3/7/23
भू–अभिलेख एवं परिमाप